International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(III), January - March, 2023, pp. 318-321

पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण

डॉ. शालिनी शर्मा*

प्रस्तावना

सुशासन तब तक सफल नही हो सकता है जब तक आधी आबादी को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा तब तक पंचायती राज व्यवस्था कारगर और सार्थक भूमिका अदा नहीं कर सकती महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की विशेष भूमिका है, क्योंकि इसके माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से पंचायती राज **'मील का पत्थर'** साबित हो रहा है। [1]

''महिला सशक्तिकरण'' का शाब्दिक अर्थ महिलाओं का शक्ति–सम्पन्न व साधन–सम्पन्न होना है। शक्ति व साधन दोनों ही जीवन की गुणात्मकता से जुड़ी हुई अवधारणाएँ हैं। जीवन को गुणात्मकता व्यक्ति के जीवन स्तर, जीवन संतोष, सुख समृद्धि विकास व उन्नति के अवसरों का एक समग्र मूल्यांकन है।

सशक्तिकरण का अर्थ

आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता, आत्म विश्वास यदि कोई महिला अपने और अपने अधिकारो के बारे में सजग है। यदि उसका आत्म सम्मान बढ़ा हुआ है तो वह सशक्त समर्थ है। ये तीन शब्द आत्म सम्मान, आत्म निर्भरता, आत्मविश्वास तब ही महिला को प्राप्त हो सकते हैं। जब उसे उन्नति करने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाए।

1975–85 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक का एक ऐसा गरमाया दौर था जिसमे राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आवाज गूंजने लगी थी। विभिन्न देशों में महिला और राजनीति पर बहस की जाने लगी थी। 1985 में सयुंक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने नारी को राजनीति में स्थान दिलाने हेतु संकल्प लिया। यह एक सशक्त शुरूआत थी कि विश्व भर के राजनीतिज्ञ महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के पक्ष में दिखाई पड़ें। इसी उद्देश्य से सन् 1992 में 73 वॉ संविधान संशोधन किया गया और त्रि–स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण और अलग से संविधान की व्यवस्था की गई। 73 वे संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और त्रि–स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण और अलग से सुरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई है।[2]

73 वे संविधान संशोधन के अनुसार कम से कम एक–तिहाई महिलाये सभी स्थानीय स्वशासकीय निकायों तथा पंचायतो के स्तर पर निर्वाचित होगीं। जिसमें पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख जिला परिषद सभी स्तर शामिल है। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार यह विधेयक पंचायती राज संस्थाओ में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कर सत्ता में इस वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

* सहायक आचार्य (लोक प्रशासन), एस.एन. कॉलेज ऑफ लॉ, निर्वाण विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

अतः 73 वे संविधान संशोधन में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बात तो करते है और साथ ही महिलाओ को अधिकार प्रदान करने की घोषणा एक **''मील का पत्थर''** के समान है। इससे पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है। हम जब पंचायतीराज और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की बाते करते हैं तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करना पड़ता है कि पंचायती राज महिलाओं का राजनीतिक समाजीकरण भी करता है। पंचायती राज ग्रामीण समाज की प्रथम पाठशाला है। जहाँ 33ः महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हुआ है वे स्थानीय स्तर पर राजनीति की नीतियों, कार्य प्रणालियों सभाओं में सीधे भागीदारी बनती है। इसके अनुभवों से वे राजनीति में परिपक्व होती हैं। इनकी एक राजनीतिक छवि बनती है। जब ये गंभीर स्थानीय समस्याओं पर निर्णय लेकर उसका समाधान करती है।

पंचायतीराज में महिलाओं को 33ः आरक्षण हो जाने से ग्रामीण समाज की महिलाओं में जहाँ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। वही उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आई है। वे अपने हितों की रक्षा के लिए सजग हुई है। उनमें सामाजिक आर्थिक मुद्दों के विरूद्ध आवाज बुलंद करने की हिम्मत आई है। जो शताब्दियो से उनका दोहन, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार करते आए हैं। उनमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की भावना उत्पन्न हुई है। महिलाओं को यदि उचित व समान अवसर और सुविधाएँ दी जाए तो वह कही भी पुरूषों से कम साबित नहीं होगी।

इसलिए **गाँधी जी ने कहा था** कि ''अगर घर के किसी कोने में गंदा खजाना अचानक मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। महिला शक्ति सुप्त पड़ी है। अगर एशिया की महिलाएँ जाग जाए तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देगी।''

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका के व्यवहारिक पहलु को देखा जाए तो जहाँ महिलाओं को पहली बार प्रशासनिक अधिकार मिले। महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ी। उनमें कुछ करने का आत्म विश्वास जागा। अपने स्थानीय क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उन्होने प्रयास करने शुरू किए। उन्हे यह अनुभव हो गया कि बगैर शासन सत्ता, शक्ति को पाए वे अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकती इसलिए राजनीति में भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है। इस आधार पर यह कहा जाता सकता है कि महिला सशक्तिकरण का यह सशक्त दौर है। जिसे हम कही स्त्री–विमर्श और नारीवाद की भी संज्ञा देते हैं। यह महिला सशक्तिकरण का दौर ग्रामीण समाज के पिछड़े क्षेत्रों से पंचायती राज के द्वारा आरम्भ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए निश्चय ही यह एक राजनीतिक–सामाजिक क्रान्ति है। जो उन्ही की जमीन से फूटती है, अंकुरित होती है। पल्लिवित होती और ग्रामीण महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराती है। पंचायती राज का इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण में क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि यह वह माध्यम है 'जिससे महिला जगत के सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन आता है।' वर्तमान में लोकतंत्र प्रणाली में राजनीतिक शक्ति ही समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाती है। [3]

महिलाओं की सहभागिता एवं समस्याऐं

पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है। किन्तु यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि विधान बनाने मात्र से बदलाव नहीं लाया जाता है। भारतीय समाज का ढाँचा इस प्रकार का है कि महिलाओं को हमेशा दबाकर रखा गया था। अतः निरक्षरता, गरीबी तथा परम्परा के बन्धनों को तोड़ना मुश्किल होते हुए भी जरूरी था। नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका एवं योगदान में क्रियान्वयन के स्तर पर कई समस्याएं उजागर हुई। इनका विश्लेषण निम्न रूपों में किया जा सकता है।

हर्ष की बात यह है कि बिहार राज्य में श्री नीतिश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं को 50ः आरक्षण दिया गया है बिहार में महिलाओं की भारी भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं में देखने को मिलती है। वर्तमान में उत्तराखंड़, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि करीब 14 राज्यों के शहरी निकायों में तथा करीब 17 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50ः स्थानो के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह सच है कि उनके मार्ग में पूरे देश में जटिल समस्याऐं हैं जो निम्नलिखित हैं।[4]

- शिक्षा का अभाव
- प्रशिक्षण का अभाव
- स्थानीय दलालों की भूमिका
- महिला प्रतिनिधियों के प्रति होने वाली हिंसा
- सामाजिक समस्याऐं
- पारिवारिक समस्याऐं
- जाति व्यवस्था
- वित्तीय समस्या

महिलाओं की भागीदारी को कारगर बनाने के प्रयास एवं सुझाव

- सर्वप्रथम पंचायत के कार्य में स्त्रियों की विशेष भूमिका चिन्हित की जाए ताकि दूसरों का दखल उसमें न हो।
- प्रारम्भ में महिला प्रतिनिधियों को वही कार्य अधिक दिए जाए जिसमें उनकी नैसर्गिक रूचि हो और जिन्हे वे आसानी से पूरा कर सकें। [5]
- महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर भी प्रशिक्षण देना भी जरूरी है ताकि वे सुविधाओं का ठीक से लाभ उठा सकें।

पंचायतों के कार्यो में महिला शिक्षा को सबसे अधिक महत्ता दी जानी चाहिए ताकि निरक्षरता के कारण आ रही बाधाओं को वे आसानी से पार कर सके। धीरे धीरे महिलाओं को अन्य जटिल कार्य जैसे वित्त योजना[6], सतर्कता, रक्षा आदि में शामिल करना चाहिए इससे वे अनिवार्य रूप से इन कामों से जुड़ेगी और समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर सकेगी।

आज के इस तीव्र गति से बदलते युग में सूचना का आदान–प्रदान शीघ्र और अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पंचायत के प्रतिनिधियों और अधिकारियों को पंचायत से सम्बन्धित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचानी चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर वे उपलब्ध हो सके। महिला प्रतिनिधियों के लिए यह और भी आवश्यक है क्योकि उनकी गति शीलता और बाहरी–जन सम्पर्क पुरूषों की अपेक्षा कम ही हो पाता है।

महिलाओं के सामने आने से पूरा परिदृश्य बदलने लगा है। अब आवश्यकता है पुरूषों को भी इस बदलते हुए माहौल में कार्य करने का प्रशिक्षण देने की। पुरूषों को चाहिए कि वे महिलाओं के प्रति संवेदनशील होकर बर्ताव करे सामुदायिक सम्पत्तियों पर फैसले करने में भी स्त्रियों की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। [7]

एक–एक ग्राम पंचायत मजबूत होगी आर्थिक दृष्टि से आत्म–निर्भर होगी तो उसमें बैठी महिलाऐं भी मजबूत होगीं।

सबसे मुख्य आशंका जो महिलाओं के सशक्तिकरण के सम्बन्ध में शुरू से अब तक प्रकट की जा रही है, वह है उनके पद का लाभ उनके परिवार के पुरूष सदस्य उठाऐगें और उन्हे मात्र कठपुतली बनाकर पूरा नियत्रंण स्वयं रखेगें, जहॉ तक निर्णय लेने में स्वतंत्रता का प्रश्न है क्या यह पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि पुरूषों के निर्णय लेने में किसी और का नियंत्रण नहीं होता ? वे भी कई बार अन्य लोगों से नियंत्रित होते हैं तो फिर ऐसा कहा जाना कहाँ तक संगत है कि चूँकि कुछ महिलाऐं चन्द लोगों के नियत्रंण में रहेगी इसलिए उन्हे पद न दिया जाए बल्कि उनमें आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने की क्षमता का विकास सतत् करते रहना होगा और इस सम्बन्ध में पुरूषों को भी नई व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को ढ़ालने का प्रयास करना होगा। [8] नवीन पंचायती राज अधिनियम के कारण आज बिहार सहित पूरे देश में लाखो महिलाऐं विजयी होकर पंचायतों में नेतृत्व हेतु मैदान में आ गई हैं। परिणाम स्वरूप एक और पंचायती राज व्यवस्था को देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के तृतीय सोपान के रूप में संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। वही दूसरी और महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार को स्वीकार किया गया है।

सच तो यह है संविधान का नए प्रावधान महिलाओं में छिपी शक्ति को उजागर करने में सार्थक कदम साबित हुआ है। जाहिर है कि नवीन कानून के फलस्वरूप बिहार समेत पूरे देश में जो पंचायत राज चुनाव हुए उसमें लगभग 30 लाख महिलाओं ने भाग लिया। विश्व के किसी अन्य देश में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 33ः आरक्षण नहीं किया गया।

निष्कर्ष

पंचायती राज की नयी व्यवस्था के बाद देश के पारम्परिक पुरूष–प्रधान समाज में अब निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं का भी समावेश होने लगा है लेकिन समाज की मानसिकता के चलते अभी भी इस रास्ते में महिलाओं के सामने अनेक कठिनाईयाँ है। यह सच है कि हमारा सामाजिक ढाँचा और उसकी मानसिकता समूचे देश में एक समान नहीं है किन्तु यह कहना भी गलत नहीं होगा कि महिलाओं के प्रति सोच में देश के विभिन्न भागों में काफी समानताऐं है। तात्पर्य यह है कि वे अब भी राजनैतिक रूप से काफी पिछड़ी है पर तेजी से जागरूक हो रही है और आगे आ रही है। नई व्यवस्था 50ः ने उन्हे और प्रेरित किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सीताराम सिंह, बिहार में ग्राम पंचायत एवं सुशासन, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2012 पृ0 98
2. सिंह, निशांत, भारतीय महिलाएँ एक सामाजिक अध्ययन, ओमेगा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2009
3. सिंह, बी.एन., जनमेजय सिंह, आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2010
4. सीताराम सिंह, उपरोक्त, पृष्ठ 196
5. ललिता सोलंकी, उपरोक्त, पृष्ठ 88
6. कुमारी ममता, उपरोक्त, पृष्ठ 650
7. स्वनिल, सारस्वत एवं निशांत सिंह, समाज, राजनीति और महिलाऐं, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ 63
8. सीताराम सिंह, उपरोक्त, पृष्ठ 218–219

❖◆❖